/10

पत्रांक–5/पी०–(नई यो०)–24/2022 83(5)योजना/स्वा०

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 30.03.2026

विषयः केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से सरायकेला–खरसावाँ जिला के जिला मुख्यालय में स्वीकृत 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 10,04,37,886/– (दस करोड़ चार लाख सैंतीस हजार आठ सौ छियासी) रूपये मात्र राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–130(5)ब०यो०, दिनांक–07.11.2022, शुद्धि पत्र संख्या–149(5)ब यो० दिनांक–19.12.2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2025–26 में सरायकेला–खरसावाँ जिला के जिला मुख्यालय में स्वीकृत 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना में मूल प्रशासनिक स्वीकृति के इत्तर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि कुल 10,04,37,886/– (दस करोड़ चार लाख सैंतीस हजार आठ सौ छियासी) रूपये मात्र राज्य योजना मद से दिए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–130(5)ब०यो०, दिनांक–07.11.2022, शुद्धि पत्र संख्या–149(5)ब यो० दिनांक–19.12.2022 द्वारा केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के दौरान सरायकेला–खरसावाँ जिला के जिला मुख्यालय में स्वीकृत 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल राशि 54,21,54,650/–(चौवन करोड़ एक्कीस लाख चौवन हजार छः सौ पचास) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक–3037 दिनांक–26.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निर्माण, कार्य कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कराया गया है। इस हेतु कई एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही, कुछ नये कार्य मदों का कार्यान्वयन भी आवश्यकतानुसार कराया गया है। वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत नक्शों के अनुरूप विभिन्न कार्यमदों में वृद्धि/कमी इत्यादि के आलोक में विचलन प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

(अजय कुमार सिंह)	(ललित मोहन शुक्ला)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

4. योजना में वृद्धि का मुख्य कारण निम्नानुसार हैः–

(i) Due to undulating ground with rocky bed, Massive excavation in hard Rock was required for levelling of the campus.

(ii) Increase in plinth height due to undulating ground resulated in increase in quantity of columns and beams.

(iii) Due to increase in Lenghth of Boundary Wall & Extra work of Retaining wall, Septic Tank & Soakpit Tank.

(iv) Due to increase in Lenght of Road & Extra paver Block work as per direction by E/I.

(v) Open ramp was provided in DPR but during execution of the project it was felt that the ramp needs to be covered for safe use in rainy season.

(vi) Price Escalation as per SBD clause which was not part of original DPR.

5. तैयार विचलन प्रतिवेदन पर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची मुख्यालय में इस कार्य हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक–12.09.2025 को सम्पन्न बैठक में जाँचोपरान्त इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. कार्य के एकरारनामा की राशि, एकरारित कार्य मदों के परिमाण में वृद्धि/कमी के कारण लागत राशि में वृद्धि तथा निगम का संचालन अनुदान की राशि को जोड़ने पर कार्य की कुल लागत राशि 64,25,92,536/रू० होता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 18.52 % अधिक है।

7. योजना की लागत राशि में वृद्धि के संबंध में संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः–

क्र०सं०	विवरणी	राशि (रूपये में)
1	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	54,21,54,650
2	एकरारनामा की राशि	51,90,79,907
3	विचलन की राशि	9,00,29,619
4	Price Adjustment as per clause 47 of SBD	97,34,150.07
5	निगम का संचालन अनुदान की राशि	2,37,48,858.51
6	**योजना की कुल लागत राशि (2+3+4+5)**	**64,25,92,536**
7	**प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि की राशि**	**10,04,37,886**
8	**प्रशासनिक स्वीकृति से वृद्धि का प्रतिशत**	**18.52%**

8. विभागीय शुद्धि पत्र संख्या–149(5)ब यो० दिनांक–19.12.2022 के अनुसार योजना हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची द्वारा केन्द्र प्रायोजित PM-ABHIM योजना से कुल 23,75,00,000/–रूपये एवं राज्य योजना मद से 30,46,54,650/–रूपये का वहन किया जाना है। ऐसे में योजना की लागत राशि में वृद्धि के फलस्वरूप योजना की कुल लागत राशि 64,25,92,536/–रूपये के विरूद्ध केन्द्र प्रायोजित PM-ABHIM योजना से देय राशि 23,75,00,000/–रूपये के पश्चात अवशेष राशि 40,50,92,536/–रूपये का वहन राज्य योजना मद से किया जाना है।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

83(5) योजना
30.03.2026

9. राज्य योजना मद से देय राशि 40,50,92,536/—रूपये के विरूद्ध आवंटित राशि कुल 28,15,79,900/—रूपये के पश्चात् कुल 12,35,12,636/—रूपये का दायित्व है।

10. उक्त योजना में वृद्धि की राशि 20% के अधीन है। अतएव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के अधिसूचना सं०—1269 दिनांक—21.09.2023 की कंडिका—4 के अनुसार में उपरोक्त मामले में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः मूल प्रशासनिक स्वीकृति से कुल 10,04,37,886/— (दस करोड़ चार लाख सैंतीस हजार आठ सौ छियासी) रूपये की वृद्धि के कारण व्यय की स्वीकृति दी जा रही है।

11. योजना हेतु व्यय का विकलन राज्य स्कीम बजट शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ—110—अस्पताल तथा औषधालय (796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)—48—जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार उत्क्रमण—01—जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित—05—निर्माण—45 निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210—01—110(796 सहित)—48—01—05—45) अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

12. इस योजना हेतु आवंटित किए जाने वाले राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे, जो राशि का पुस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता—मुख्यशीर्ष—8448—स्थानीय निधि जमा—120—अन्य निधियाँ में करेंगे।

13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

14. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता का दायित्त्व होगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

16. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा।

17. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—130(5)ब०यो०, दिनांक—07.11.2022, शुद्धि पत्र संख्या—149(5)ब यो० दिनांक—19.12.2022 की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

18. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

19. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

83(S) योजना
30.03.2026

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–5 / पी०–(नई यो०)–24 / 2022 83(S) योजना राँची, दिनांकः 30·03·2026

प्रतिलिपिः

1. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
2. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
3. उपायुक्त, राँची / सरायकेला–खरसावाँ।
4. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
5. सिविल सर्जन, राँची / सरायकेला–खरसावाँ।
6. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
7. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

83(S) योजना
30·03·2026